

Press Note

Clarifications with respect to the Indian Medicine Central Council (Post Graduate Ayurveda Education) Amendment Regulations, 2020

Central Council of Indian Medicine (CCIM), the statutory body that regulates the Indian Medical systems of Ayurveda, Siddha, Sowa-Rigpa and Unani Medicine issued a notification on 20th November 2020 to streamline some of the provisions of the regulations concerning Post Graduate Ayurveda Education by adding clarity and definition to the same.

It has come to the notice of the Ministry of AYUSH that some mis-reported and incorrectly interpreted versions of the above notification have surfaced in some media platforms, leading to mis-information about the nature and purpose of the said notification. To lay to rest the apprehensions arising out of such incorrect interpretations, the Ministry is now issuing the following clarifications answering the questions that have been raised in this matter:

1. What does the notification called the Indian Medicine Central Council (Post Graduate Ayurveda Education) Amendment Regulations, 2020 deal with?

The notification relates to the Shalya and Shalakya streams of Post Graduate Education in Ayurveda. The notification specifies (in clearer terms than the earlier notification on the subject) a total of 58 surgical procedures that PG scholars of these streams (cumulatively) need to be practically trained in so as to enable them to independently perform the said activities after completion of their PG Degree. The notification is specific to these specified surgical procedures and does not allow Shalya and Shalakya Post Graduates to take up any other types of surgery.

2. Does the said notification signify a policy shift in the matter of practice of surgical procedures by practitioners of Ayurveda?

No, this notification is a clarification of the relevant provisions in the previously existing regulations of 2016. Since beginning, Shalya and Shalakya are independent Departments in Ayurveda colleges, performing such surgical procedures. While the notification of 2016 stipulated that the students shall undergo training of investigative procedures, techniques and surgical performance of procedures and management in the respective specialty, the details of these techniques, procedures and surgical performance were laid down in the syllabus of respective PG courses issued by CCIM, and not the regulation *per se*. The present clarification was issued in over-all public interest by CCIM by bringing the said details into the regulation. Hence this does not signify any policy shift.

3. Why is there a controversy around the use of modern terminology in the said notification?

The Ministry has not received any comments or objections about the use of modern terminology in the said notification, and is hence not aware of any such controversy.

It is, however, clarified that all scientific advances including standardized terminologies are inheritances of the entire mankind. No individual or group has monopoly over these terminologies. The modern terminologies in the field of medicine, are not modern from a temporal perspective, but are derived substantially from ancient languages like Greek, Latin and even Sanskrit, and later languages like Arabic. Evolution of terminologies is a dynamic and inclusive process. Modern medical terms and terminology facilitates effective communication and correspondence not just among physicians, but also to other stakeholders including the public. In the instant notification, modern terms are adopted as per requirement to ensure that the same is understood widely in the medical profession, in the stake-holding disciplines like the medico-legal, health IT etc., as well as by the members of the public.

4. Does the use of modern terminology in the said notification amount to “mixing” of Ayurveda with Conventional (Modern) Medicine?

Not at all. The purpose of all modern scientific terminology is to facilitate effective communication and correspondence among the different stakeholders. The stakeholders of the instant notification include not just the Ayurveda practitioners but also professionals of other stake-holding disciplines like the medico-legal, health IT, insurance etc., as well as the members of the public. Hence the use of modern terminology was required. The question of “mixing” of Ayurveda with Conventional (Modern) Medicine does not arise here as CCIM is deeply committed to maintaining the authenticity of Indian systems of medicine, and is against any such “mixing”.

प्रेस नोट

भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा) संशोधन विनियम, 2020 के संबंध में स्पष्टीकरण

केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद (सीसीआईएम), सांविधिक निकाय जो आयुर्वेद, सिद्ध, सोवा-रिग्पा और यूनानी चिकित्सा की भारतीय चिकित्सा प्रणालियों को विनियमित करता है, ने 20 नवंबर 2020 को स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा से संबंधित नियमों के कुछ प्रावधानों को कारगर बनाने के लिए उसी में स्पष्टता और परिभाषा जोड़ते हुए एक अधिसूचना जारी की।

आयुष मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि उपरोक्त अधिसूचना के कुछ गलत तरीके से रिपोर्ट किए गए और गलत तरीके से व्याख्या किए गए संस्करण कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामने आए हैं, जिससे उक्त अधिसूचना की प्रकृति और उद्देश्य के बारे में गलत जानकारी मिली है। इस तरह की गलत व्याख्याओं से उत्पन्न आशंकाओं को शांत करने के लिए मंत्रालय अब इस मामले में उठाए गए सवालों के जवाब में निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी कर रहा है:

1. भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा) संशोधन विनियम, 2020 नामक अधिसूचना किससे संबंधित है?

अधिसूचना आयुर्वेद में स्नातकोत्तर शिक्षा की शल्य और शालाक्य प्रक्रियाओं से संबंधित है। अधिसूचना (विषय पर पहले की अधिसूचना की तुलना में स्पष्ट शब्दों में) कुल 58 शल्यचिकित्सा प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट करती है कि इन प्रक्रियाओं के स्नातकोत्तर छात्रों (संचयी रूप से) को व्यावहारिक रूप से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है ताकि उन्हें अपनी स्नातकोत्तर डिग्री पूरा होने के बाद उक्त गतिविधियों को स्वतंत्र रूप से संचालित करने में सक्षम बनाया जा सके। अधिसूचना इन निर्दिष्ट सर्जिकल प्रक्रियाओं के लिए विशेषीकृत है और शल्य तथा शालाक्य स्नातकोत्तर छात्रों को किसी अन्य प्रकार की सर्जरी करने की अनुमति नहीं देती है।

2. क्या उक्त अधिसूचना आयुर्वेद के चिकित्सकों द्वारा सर्जिकल प्रक्रियाओं के अभ्यास के मामले में नीतिगत बदलाव का समर्थन करती है?

नहीं, यह अधिसूचना 2016 के पहले के मौजूदा विनियमों में प्रासंगिक प्रावधानों का स्पष्टीकरण है। शुरुआत से ही शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं को करने वाले आयुर्वेद कॉलेजों में शल्य और शालाक्य स्वतंत्र विभाग हैं। जबकि 2016 की अधिसूचना में कहा गया था कि छात्रों को संबंधित विशेषज्ञता में जांच प्रक्रियाओं, तकनीकों और प्रक्रियाओं के सर्जिकल प्रदर्शन और प्रबंधन के प्रशिक्षण से गुजरना होगा, इन तकनीकों, प्रक्रियाओं और सर्जिकल प्रदर्शन का विवरण सीसीआईएम द्वारा न कि प्रति विनियमन द्वारा जारी किए गए संबंधित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के विषयवस्तु में निर्धारित किया

गया था। वर्तमान स्पष्टीकरण सीसीआईएम द्वारा उक्त विवरण को विनियमन में लाकर समग्र जनहित में जारी किया गया था। इसलिए यह किसी नीतिगत बदलाव का समर्थन नहीं करता है।

3. उक्त अधिसूचना में आधुनिक शब्दावली के प्रयोग को लेकर विवाद क्यों है?

मंत्रालय को उक्त अधिसूचना में आधुनिक शब्दावली के उपयोग के बारे में कोई टिप्पणी या आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, और इसलिए इस तरह के किसी भी विवाद से अवगत नहीं है।

हालाँकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि मानक शब्दावली सहित सभी वैज्ञानिक प्रगति संपूर्ण मानव जाति की विरासत हैं। इन शब्दावली पर किसी व्यक्ति या समूह का एकाधिकार नहीं है। चिकित्सा के क्षेत्र में आधुनिक शब्दावली, एक अस्थायी परिप्रेक्ष्य से आधुनिक नहीं हैं, लेकिन ग्रीक, लैटिन और यहां तक कि संस्कृत जैसी प्राचीन भाषाओं और अरबी जैसी बाद की भाषाओं से काफी हद तक ली गई हैं। शब्दावली का विकास एक गतिशील और समावेशी प्रक्रिया है। आधुनिक चिकित्सा शब्द और शब्दावली न केवल चिकित्सकों के बीच, बल्कि जनता सहित अन्य हितधारकों के बीच भी प्रभावी संचार और पत्राचार की सुविधा प्रदान करती है। तत्काल अधिसूचना में, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह चिकित्सा पेशे में जैसे कि मेडिको-लीगल, स्वास्थ्य आईटी आदि जैसे हितधारकों के साथ-साथ आमजनों द्वारा भी व्यापक रूप से समझा जाता है, आधुनिक शब्दों को आवश्यकता के अनुसार अपनाया जाता है।

4. क्या उक्त अधिसूचना में आधुनिक शब्दावली का प्रयोग पारंपरिक (आधुनिक) चिकित्सा के साथ आयुर्वेद के "मिलावट" के बराबर है?

बिल्कुल नहीं। सभी आधुनिक वैज्ञानिक शब्दावली का उद्देश्य विभिन्न हितधारकों के बीच प्रभावी संचार और पत्राचार की सुविधा प्रदान करना है। तत्काल अधिसूचना के हितधारकों में न केवल आयुर्वेद चिकित्सक बल्कि मेडिको-लीगल, स्वास्थ्य आईटी, बीमा इत्यादि जैसे अन्य हितधारकों के साथ-साथ आमजन भी शामिल हैं। अतः आधुनिक शब्दावली का प्रयोग आवश्यक था। यहां पारंपरिक (आधुनिक) चिकित्सा के साथ आयुर्वेद के "मिश्रण" का सवाल नहीं उठता क्योंकि सीसीआईएम भारतीय चिकित्सा पद्धति की प्रामाणिकता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, और इस तरह के किसी भी "मिलावट" के खिलाफ है।